न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 04/2022

जी0सी0एम0एस0 :—2022/58

1. मनीराम पुत्र हीराराम जाति माली निवासी खिरोड़, तहसील नवलगढ जिला झुझुनू

आवेदक....

बनाम

1. रतनलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी नीम की ढाणी, तन झाझड, तहसील नवलगढ, झुंझुनूं।
2. भोलाराम पुत्र नारायण जाति माली निवासी नीम की ढाणी, तन झाझड, तहसील नवलगढ, झुझुंनू।
3. बोदूराम पुत्र नारायण (फौत)

3/1 जानकी देवी पत्नी स्व. बोदूराम

3/2 मंजू पुत्री बोदूराम

3/3 ललिता पुत्री बोदूराम समस्त जाति माली निवासीगण नीम की ढाणी, तन झाझड, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

4. बुधराम सैनी पुत्र मूलाराम जाति माली निवासी गोमजी की ढाणी तन झाझड, तहसील नवलगढ, झुझुंनू।
5. शाखा प्रबन्धक बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाझड तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू।

.....अनावेदकगण

**प्रार्थना पत्र अं. धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**वकील आवेदक—श्री सज्जन चाहर**

**अनावेदक सं. 1 लगा. 4 —श्री अमर सिंह शेखावत**

**अनावेदक सं. 5 एक पक्षीय**

**अनावेदक सं. 6— राजकीय पैरोकार।**

—:निर्णयः—

दिनांकः 11/11/2025

आवेदक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 16, खाता सं. पुराना 268 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1538 रकबा 0.93 हैक्टर जो कि आवेदक की खातेदारी की भूमि है, जिसमे आवेदक का 2/3 हिस्सा है तथा ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 82 पुराना खाता सं. 302 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1570 रकबा 1.32 है० जो अनावेदकगण 1 लगा. 4 की कब्जे काश्त की भूमि है। आवेदक को अपनी कृषि जोत खसरा नं. 1538 में आने जाने के लिये अनावेदकगण के खसरा नं. 1570 में से मुताबिक नजरी नक्शा ए से बी तक 15 फीट चौडा व 147 फीट लम्बा रास्ता कायम किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अनावेदक सं. 5 बावजूद समयक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गईं। अनावेदक सं. 6 की और से पैरो. राज ने उपस्थित होकर तहसीलदार नवलगढ की ओर से रिपोर्ट कमांक/राजस्व/566 दिनांक 28/12/2023 पेश की गई। जिसके अनुसार ख.नं. 1538 संयुक्त खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनूं)

की भूमि है तथा प्रार्थी मनीराम का 2/3 हिस्सा है। उक्त भूमि में प्रवेश का अन्य कोई रास्ता नही है। संयुक्त खातेदारी की भूमि का मौके पर विभाजन कर रखा है. इसके पश्चिम की और प्रार्थी का कब्जा है तथा पूर्वी और अन्य सह खातेदारों का कब्जा है। ख.नं. 1570 के पूर्वी कोने से दक्षीण की तरफ ग्रेवल सडक लगती है जो मौके पर चालू है। ख.नं. 1570 के उत्तरी पूर्वी कोनने पर एक पक्का ढारा निर्मित है। खसरा नं. 1538 की सीमा नजरी नक्शे मे बी बिन्दू पर ही समाप्त होती है। प्रार्थी की कृषि भूमि में प्रवेश हेतु ए से सी बिन्दू तक 147 फीट लम्बा व 15 फीट चोडा रास्ते की मांग की गई है। जिससे रास्ते की 200 वर्ग मीटर भूमि बनती है।

अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 ने जबाब प्रार्थना पत्र मूल का इस आशय का पेश किया है कि आवेदक ने ख.नं. 1538 में से 2/3 हिस्सा क्रय किया है। आवेदक ख.नं. 1569 में से आता जाता रहा है जो आगे कुट पर मिलता है। जो तथाकथित रास्ता चाहा गया है वहाँ पक्के मकानात बने हुये है। गलत नजरी नक्शा बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रा. पत्र पेश किया गया है इसलिये खारीज योग्य है। ख.नं. 1538 से सटकर पूर्व दिशा में भूमि खसरा नं. 1569 है जिसके कूट के सहारे सहारे कटाण शुद्वा रास्ता है जो ग्राम झाझड से तारपुरा बैरी तक जाता है। आवेदक की पैतृक भूमि है या कय शुद्धा है अपने प्रा. पत्र में वर्णित नही की है। इसलिये प्रा. पत्र खारीज किया जावे।

प्रकरण में बहस प्रा. पत्र वकील उभय पक्ष द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने विरोध करते हुये तथा खसरा नं. 1569 से हमेशा से आने जाने तथा निकटतम व लघुतम रास्ता होने का हवाला देते हुये प्रा. पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सुनाई गई बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व उसके साथ संलग्न फर्द व नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये अपनी जिस कृषि भूमि खसरा नम्बर 1538 के लिये रास्ता चाहा है वह एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। भूमि खसरा नम्बर 1538 शामलाती सहखातेदारी की भूमि है जिसमें पहुंच हेतु रास्ता प्राप्त करने के लिए केवल आवेदक ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अन्य सहखातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जिसकी वजह से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारों का अभाव है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है उसके अनुसार भी आवेदक को यदि रास्ते का अभाव है तो खसरा नं. 1569 में ही सबसे नजदीक व लघुतम रास्ता लगेगा अर्थात आवेदक की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक/न्यूनतम दुरी का रास्ता विद्यमान है। आवेदक द्वारा अपने प्रा. पत्र में खसरा नं. 1569 के खातेदारों को न तो पक्षकार बनाया है और नही खसरा नं. 1569 में से रास्ते का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानानुसार नया मार्ग तब ही कायम किया जा सकता है जब न्यायालय को यह समाधान हो जावे कि

**(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और**

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनूं)

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक रास्ता का अभाव हो।

हस्तगत प्रकरण में न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है और जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए है। हस्तगत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की मंशा को पूर्ण नहीं करता है, इस कारण नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। आवेदक प्रथम दृष्टया प्रकरण को साबित करने में असफल रहा। उक्त विवेचन के अनुसार आवेदक मनीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

## आदेश

आवेदक मनीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। आवेदक आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगें।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

निर्णय आज दिनांक 11-11-2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ